निदेशक कैम्प
सं0.....1128.........
...14/08/19......

उत्तर प्रदेश शासन
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3
संख्या–347 / 65–3–2019–01 / 2017टी0सी0
लखनऊ :: दिनांक 09 अगस्त, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 08 मार्च, 2019 द्वारा प्रख्यापित दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2019 की व्यवस्था के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–38 के अधीन बैंचमार्ग दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को उच्च सहायता (High Support Need) की आवश्यकता के लिए मण्डल स्तर पर निर्धारण बोर्ड (Assesment Board) का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

(क)	मण्डल मुख्यालय का मुख्य चिकित्साधिकारी	अध्यक्ष
(ख)	मण्डल मुख्यालय का जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी	सदस्य
(ग)	अध्यक्ष द्वारा मण्डलायुक्त के अनुमोदन से नामित 05 पुनर्वास विशेषज्ञ (शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास अथवा हड्डी विशेषज्ञ, कान–नाक–गला विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, सामान्य चिकित्सक (यदि प्रार्थी 18 वर्ष का है, अथवा उससे ज्यादा है) अथवा बाल चिकित्सक (यदि प्रार्थी 18 वर्ष से कम है), मनोचिकित्सक	सदस्य
(घ)	अध्यक्ष द्वारा मण्डलायुक्त के अनुमोदन से नामित ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अथवा वाक् थेरेपिस्ट अथवा नैदानिक मनोवैज्ञानिक अथवा फिजियोथैरेपिस्ट (आवश्यकतानुसार)	सदस्य
(ङ)	कोई अन्य विशेषज्ञ, जिसे अध्यक्ष उपयुक्त समझे	सदस्य

2– निर्धारण बोर्ड उच्च सहायता की आवश्यकता वाले प्रार्थी का मूल्यांकन, नैदानिक निर्धारण आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 08 मार्च, 2019 द्वारा प्रख्यापित दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2019 के अनुसार करेगा।

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

......2

Scanned by CamScanner

संख्या– 347 (1)/65–3–2019–01/2017टी0सी0 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, सरोजनी हाउस, 6–भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली–110001

(2) सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, पाचवॉ तल, पं0 दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003

(3) प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

(4) आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0।

(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(6) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।

(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(8) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0।

(9) समस्त मण्डलीय उप निदेशक/समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, उ0प्र0।

(10) दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–1/2

(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लाल बहादुर यादव)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner